संख्या–वे0आ0–2–819 / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2014

विषयः मुख्य सचिव समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के सम्पादक के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के सम्पादक के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय के सम्पादक पदों के लिये वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 व ग्रेड वेतन रू0 5400/– विभागीय आदेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जाय।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–819 (1) / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

MSS NOTE